भारत सरकार / Government of India
गृह मंत्रालय / Minister of Home Affairs
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय
Office of Registrar General & Census Commissioner, India
2ए, मानसिंह रोड / 2A, Mansingh Road
नई दिल्ली / New Delhi-110011

No. 1/12/2014-VS (CRS) **31st July, 2015**

CIRCULAR

Sub: Utility of birth and death certificates -reg.

Sir/Madam,

The registration of births and deaths are being done under the provisions of Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969 and the corresponding Rules made thereunder. This office is the Central authority to coordinate and unify the activities of Chief Registrar of births and deaths of States. Recently, India has set itself an ambitious 'Vision 2020' to universalize the registration of birth and deaths by the year 2020. In order to achieve this vision, this office has taken many initiatives.

2. Even after more than 46 years since the birth and death registration was made compulsory under the RBD Act, India is still lagging behind with about 16 and 30 percent birth and death being unregistered. Ideally, birth certificate is the first official document in one's life and death certificate is the proof of the end of one's life. The entries in birth and death registers are public documents and are admissible as evidence under section 35 of the Indian Evidence Act. 1872. These entries are conclusive evidence of the fact of birth or death, as the case may be. Based upon these entries, the extract /certificate of birth and death are issued under the provision of section 12 and 17 of the RBD Act, 1969 and shall be admissible as evidence for the purpose of proving the birth or death to which the entry relates. The certificate issued under the said Act is the legal document.

3. This office expect that the services given to the public by your office should be linked with availability of birth and death certificates depending upon the case which will enhance the utility of birth and death certificates. As a result, the national level of registration of births and deaths will automatically move towards universal level registration.

4. Therefore, the concerned authorities may be directed to link with availability of birth and deaths certificates for getting various Government benefits services from your department like:

- Maternity benefit scheme and Janani Suraksha Yojna (JSY)
- Inclusion of column in immunization cards that either the birth has been registered or not
- School admission
- Inclusion of name of child in Ration card/Family Register
- Entry in Government and Non-Government service and maintenance of service book
- Inclusion of name in electoral roll/employment exchange,
- Issue of Passport/Driving license,
- AADHAAR/NPR registration

- Marriage and divorce/separation registration,
- Deletion of name from Ration card/Family Register
- For the settlement of issues of inheritance,
- For the settlement of insurance claims,
- For the settlement of family pension,

5. You are requested to initiate concrete efforts to increase the uses of birth and death certificates with various services/ schemes implemented by the State Governments. This office may be appraised of the efforts mak in this regard.

(C. Chandramouli)
Additional Secretary and
Registrar General & Census Commissioner, India

To,

1. The Secretaries of Ministry of External Affairs, Department of Financial Services, Election Commission of India, GOI
2. All Chief/Dy. Chief/ Addl. Chief Registrars of Births and Deaths.
3. All the Heads of Life Insurance Companies (Public/Private Sector life Insurance Companies)
4. All Chief Passport Officers
5. All State Transport Authorities
6. Official website of ORGI

Forwarded/By Order

(R. K. Gautam)
Deputy Registrar General

हिन्दी अनुवाद

सत्यमेव जयते

भारत सरकार/Government of India

गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली – 110011

2/A, Man Singh Road New Delhi – 110011

सं.1/12/2014-वीएस-(सीआरएस) **दिनांक: 31 जुलाई, 2015**

परिपत्र

विषय: जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए संगत नियमों के तहत किया जाता है । यह कार्यालय राज्यों के मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु, के कार्याकलापों के समन्वय और एकीकरण के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकरण है । वर्ष 2020 तक जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सर्वव्यापी बनाने के लिए भारत ने अभी हाल ही में महत्वाकांक्षी 'विजन 2020' की घोषणा की है । उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस कार्यालय ने अनेक पहल की हैं ।

2. जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने के 46 वर्षों के पश्चात भी भारत आज इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और जन्म और मृत्यु के संबंध में लगभग 16 और 30 प्रतिशत मामलों का पंजीकरण नहीं हो रहा है । आदर्श रूप से देखा जाए तो जन्म प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति के जीवन का पहला आधिकारिक दस्तावेज होता है और मृत्यु प्रमाण पत्र किसी का जीवन समाप्त होने का प्रमाणपत्र होता है । जन्म और मृत्यु रजिस्टर की प्रविष्टयां सार्वजनिक दस्तावेज होती हैं तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा, 35 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं । ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु, जैसा भी मामला हो, के संदर्भ में निष्कर्षी (अंतिम) साक्ष्य होती हैं । इन प्रविष्टियों के आधार पर आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 12 और 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु संबंधी उद्धरण/प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं तथा ये उस प्रविष्टि से संबंधित व्यक्ति के जन्म अथवा मृत्यु को प्रमाणित करने के प्रयोजन से साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाणपत्र विधिक दस्तावेज होता है ।

3. यह कार्यालय अपेक्षा करता है कि आपके कार्यालय द्वारा जनता को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपलब्धता से जोड़ा जाना चाहिए जिससे जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपयोगिता बढ़ेगी । इसके परिणामस्वरूप जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का राष्ट्रीय स्तर स्वत: ही संपूर्ण पंजीकरण की ओर बढ़ेगा ।

4. इसलिए संबंधित प्राधिकारियों को उनके द्वारा दी जाने वाली निम्न सरकारी लाभकारी सेवाओं को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की उपलब्धता से जोड़ने के लिए निदेश दिए जाएं:

- मातृत्व लाभ योजनाएं और जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई),
- टीकाकरण कार्डों में जन्म का पंजीकरण हुआ है अथवा नहीं, को दर्शाने वाले कालम को शामिल करना,
- स्कूल मे प्रवेश,
- राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर में बच्चे का नाम शामिल करना,
- सरकारी और गैर सरकारी सेवा में प्रविष्टि और सेवा पुस्तिका का रखरखाव,
- मतदाता सूची/रोजगार कार्यालय में नाम शामिल करना,
- पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना,
- आधार/एनपीआर पंजीकरण,
- विवाह और तलाक/संबंध विच्छेद पंजीकरण,
- राशनकार्ड/परिवार रजिस्टर से नाम हटाना,
- उत्तराधिकार के मुद्दों के निपटान के संबंध में,
- बीमा दावों के निपटान के संबंध में,
- पारवारिक पेंशन के निपटान के संबंध में,

5. आपसे अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सेवाओं/स्कीमों के संबंध में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास प्रारम्भ करें । इस संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी इस कार्यालय को भी दी जाए ।

ह०
(च.चन्द्रमौलि)
अपर सचिव तथा
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

सेवा में,

1. विदेश मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के सचिव ।
2. सभी मुख्य/उप मुख्य/अपर मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु ।
3. सभी जीवन बीमा कंपनियों के प्रमुख (सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियां) ।
4. सभी मुख्य पासपोर्ट अधिकारी ।
5. सभी राज्य परिवहन प्राधिकरण ।
6. भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ।

अग्रेषित/आज्ञा से

राजकुमार गौतम
(आर.के.गौतम)
उप महारजिस्ट्रार